

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा

संख्या-04

सप्तम (शीतकालीन) सत्र

बुधवार, दिनांक-23 नवम्बर, 2016 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वो से 02.17 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा आसन ग्रहण करते ही सी.एन.टी.-एस.पी.टी. एकट में संशोधन वापस करने का नारा लगाते एवं स्लोगनयुक्त टी-शर्ट पहने हुए विपक्षी दलों के माननीय सदस्यगण सदन की बैल में आ गये। एकट में संशोधन पर मुख्यमंत्री से पुनर्विचार करने का नारा लगाने लगे। आसन द्वारा माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर वापस जाने का आग्रह किया गया, परन्तु वे बैल में ही नारा लगाते हुए बने रहे। आसन द्वारा बार-बार माननीय सदस्यों से अपने स्थान पर जाने का आग्रह करने के बावजूद सदन में अव्यवस्था का माहौल कायम रहा जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12.45 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

स्थगनोपरांत

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही सदन में पूर्व की भाँति विपक्ष के माननीय सदस्य सदन की बैल में आ गये और सी.एन.टी.-एस.पी.टी. एकट में संशोधन के विरोध में नारेबाजी करने लगे।

1-सभा के समक्ष कागजात का रखा जाना:-

श्री सरयू राय, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्तीय वर्ष-2015-16 का वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे का प्रतिवेदन जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीया राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन पटल पर उपस्थापित किया गया।

सदन में भारी अव्यवस्था के माहौल के कारण आसन द्वारा सदन की कार्यवाही 02.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

अन्तराल

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही सदन में पूर्व की भाँति विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण बेल में आकर नारेबाजी करने लगे।

ii-विधायी कार्य:-

1. छोटानागपुर काशतकारी अधिनियम 1908 (संशोधन) विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से 04, खण्ड-01 एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

2. संथाल परगना काशतकारी (अनुपूरक अनुबंध) अधिनियम 1949 (संशोधन) विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02, खण्ड-01 एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

3. झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02, खण्ड-01 एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

**4. झारखण्ड निजी नियोजन अभिकरण एवं घरेलू कामगार (विनियमन)
विधेयक, 2016**

माननीय प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02, खण्ड-03, खण्ड-04 से खण्ड-17, खण्ड-01 एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

5. झारखण्ड निजी साहकारी (निषेध) विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-1 एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

6. झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार

विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से 24, खण्ड-01, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

7. बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

७०५०

क००००००

पुरस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02, खण्ड-01 एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

8. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरस्थापित किया गया।

पुरस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02, खण्ड-01 एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। तुपरांत सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थिरित हुई।

राँची,

दिनांक- 23 नवम्बर, 2016 ई०।

बिनय कुमार सिंह

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।